11 फरवरी को जेएनयू में कन्हैया कुमार का भाषण

हम इस देश से और इसकी मिट्टी से प्यार करते हैं। इस देश में जो 80 फ़ीसदी गरीब जनता है, हम उसके लिये लड़ते हैं। यही हमारे लिये देशहित है:-

हमें पूरा भरोसा है बाबा साहेब (अम्बेडकर) के ऊपर हमें पूरा भरोसा है अपने देश के संविधान के ऊपर और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कहना चाहते हैं कि इस देश के संविधान पर अगर कोई उंगली उठायेगा चाहे वो उंगली संघियों की हो, चाहे वो उंगली किसी की भी हो, उस उंगली को हम बर्दाशत नहीं करेंगे।

हम संविधान में भरोसा करते हैं लेकिन जो संविधान झंडेवालान और नागपुर में पढ़ाया जाता है, उस संविधान पर हमको कोई भरोसा नहीं, ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है कि आज ए.बी.वी.पी. अपने मीडिया सहयोगियों से मिलकर पूरे मामले को डायल्यूट कर रहा है।

कल ए.बी.वी.पी. के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि हम फेलोशिप के लिये लड़ते हैं कितना घिनौना लगता है ये सुन करके, इनकी सरकार मैडम 'मनु' स्मृति ईरानी फेलोशिप को खत्म करती है कि हम फेलोशिप के लिये लड़ते हैं इनकी सरकार ने उच्च शिक्षा की बजट में 17 फ़ीसदी कटौती की है उससे हमारा होस्टल पिछले चार सालों में नहीं बना। उससे हमें वाईफ़ाई

आज तक नहीं मिला और एक बस दिया भेल (बीएचईएल) ने तो उसमे तेल डालने के लिये प्रशासन के पास पैसा नहीं है।

ए.बी.वी.पी. के लोग रोलर के सामने जाकर देवानंद की तरह तस्वीर खिंचवा कर कहते हैं कि हम होस्टल बनवा रहे हैं। हम वाईफ़ाई करवा रहे हैं हम फ़ेलोशिप बढ़वा रहे हैं इनकी पोलपट्टी खुल जायेगी साथियों, अगर इस देश में बुनियादी सवाल पर चर्चा होगी और मुझे गर्व है जेएनयू का छात्र होने पर क्योंकर हम बुनियादी सवाल पर चर्चा करते हैं।

(सुब्रमण्य) स्वामी कहता है कि जेएनयू में जेहादी रहते हैं, कहता है कि जेएनयू के लोग हिंसा फ़ैलाते हैं। कौन है ?... मैं जेएनयू से चुनौती देता हूं आरएसएस के विचारकों को उसे बुलाओ और करो हमारे साथ बहस, हम करना चाहते हैं हिंसा की अवधारणा पर बहस, हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं ए.बी.वी.पी. के उस दावे पर ए.बी.वी.पी. के मंच से कहता है बेशरम कि खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती, किसका खून बहाना चाहते हो इस मुल्क में तुम, क्या चाहते हो इस मुल्क में तुम, तुमने गोलियां चलाई हैं।

अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश की आज़ादी के लिये लड़ने वाले लोगों पर गोलियां चलाई हैं। मुल्क के अन्दर गरीब जब अपनी रोटी की बात करता है, जब भुखमरी से मर रहे लोग अपने हक की बात करते हैं तो उन पर गोली चलाते हो तुमने गोली चलाई है। इस मुल्क में मुसलमानों के ऊपर तुमने गोली चलाई है इस मुल्क में जब महिलायें अपने अधिकार की बात करती है तो तुम कहते हो पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती, महिलाओं को सीता की तरह रहना चाहिये और सीता की तरह अग्निपरीक्षा देनी चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि इन संघियों को लानत है तुम्हारी सरकार पर चुनौती है केन्द्र सरकार को कि आज रोहित (वेमुला) के मामले में जो किया है, वो जेएनयू में हम नहीं होने देंगे। कोई रोहित अपनी जान नहीं गंवायेगा। रोहित ने जो अपनी कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को हम याद रखेंगे। हम बोले की आज़ादी के पक्ष में खड़े होंगे और छोड़ दो पाकिस्तान की बात और बांग्लादेश की बात। हम कहते हैं कि दुनिया के गरीबों एक हो, दुनिया के मज़दूरों एक हो, दुनिया की मानवता जिन्दाबाद, भारत की मानवता जिन्दाबाद, जो इस मानवता के खिलाफ़ खड़ा है, हम उसको आज पहचान चुके हैं।

एक सवाल... अंतिम सवाल पूछकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कौन है गद्दार? कौन है अफ़जल गुरू? कौन है ये लोग, जो आज इस स्थिति में हैं कि अपने शरीर में बम बांधकर हत्या करने को तैयार हैं। अगर ये सवाल यूनिवर्सिटी में नहीं उठेगा तो फ़िर मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी होने का कोई मतलब है। दोस्तों बहुत गम्भीर परिस्थिति है।

किसी भी सवाल पर जेएनयू में कोई भी हिंसा का, किसी भी आतंकवादी का, किसी भी आतंकी घटना का, किसी भी सवाल पर जेएनयू में कोई किसी भी हिंसा का, किसी भी आतंकवादी का, किसी भी आतंकी घटना का, किसी देशविरोधी गतिविधि का समर्थन नहीं करता। कड़े शब्दों में एक बार फ़िर से जो कुछ अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये हैं, जेएनयू छात्रसंघ उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है।

सवाल पूछना चाहते हैं जेएनयू प्रशासन से कि आप किसके लिये काम करते हैं? किसके साथ काम करते हैं और किस आधार पर काम करते हैं? ये बात आज बिल्कुल साफ़ होनी चाहिये कि जेएनयू प्रशासन पहले परमिशन देता है, फ़िर नागपुर से फ़ोन आने के बाद परमिशन वापस लेता है। ये जो परमिशन लेने देने की प्रक्रिया है ये उसी तरह तेज़ हो गई है इस मुल्क में जैसे फेलोशिप लेने और देने की प्रक्रिया है। हमारा सवाल है जेएनयू चांसलर से कि पोस्टर लगा था जेएनयू में पर्चे आए थे मैस में, अगर दिक्कत थी तो जेएनयू प्रशासन पहले परमिशन नहीं देता अगर परमिशन दिया तो किसके कहने पर परमिशन कैंसिल किया? ये सवाल जेएनयू प्रशासन साफ़ करे, ये सवाल आज हम इनसे पूछना चाहते हैं साथ ही साथ ये जो लोग हैं इनकी सच्चाई जान लीजिये।

इनसे नफ़रत मत कीजियेगा क्योंकि हम लोग नफ़रत नहीं कर सकते हैं इनसे, मुझे बहुत ही दया भाव है, इनके प्रति, ये इतने उछल रहे हैं क्यों? इनको लगता है जैसे गजेन्द्र चौहान को बिठाया है, वैसे हर जगह चौहान, दीवान, फरमान ये जारी कर देंगे, चौहान, दीवान और फ़रमान की बदौलत ये हर जगह नौकरी पाते रहेंगे। इसलिये ये जब ज़ोर से भारत माता की जय चिल्लाएं तो समझ लीजिये परसों इनका इंटरव्यू डीयू में होने वाला है। ये कैसी देशभक्ति है?

अगर एक मालिक अपने नौकर से सही बर्ताव नहीं करता, अगर किसान अपने मज़दूर से सही बर्ताव नहीं करता, अगर पूंजीपति अपने कर्मचारियों से सही बर्ताव नहीं करता और ये जो अलग-अलग चैनल के लोग हैं जो पत्रकार काम करते हैं 15-15 हज़ार रुपये में, इनका जो सीईओ है, वो इनसे ठीक बर्ताव नहीं करते हैं। वो कैसे करते हैं देशभक्ति? कैसे? वो सारी देशभक्ति भारत- पाकिस्तान के मैच पर खत्म कर देते हैं, इसलिये जब सड़क पर निकलते हैं तो केले वाले के साथ बदतमीजी से बात करते हैं केला वाला कहता है-साहब, 40 रुपये दर्जन, कहते हैं भाग तुम लोग लूट रहे हो, 30 का दे दो केला वाला जिस दिन पलट कर बोल देगा कि तुम सबसे बड़े लुटेरे हो, करोड़ों लूट रहे हो... तो कह देंगे कि ये देशद्रोही है।

मैं आप तमाम जेएनयू के लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी चुनाव होगा मार्च में तब ए.बी.वी.पी. के लोग ओम का झंडा लगाकर आपके पास आएंगे उनसे पूछियेगा कि हम देशद्रोही हैं जेहादी आतंकवादी हैं हमारा वोट लेकर तुम देशद्रोही हो जाओगे, ये उनसे जरूर पूछियेगा, तब ये कहेंगे। नहीं आप लोग नहीं हैं वो कुछ लोग हैं, हम कहेंगे कि वो कुछ लोग थे, ये बात तो तुमने मीडिया में नहीं कही थी। तुम्हारा वाईस चांसलर नहीं बोला और तुम्हारा रजिस्ट्रार भी नहीं बोल रहा है और वो कुछ लोग भी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा नहीं लगाया। वो कुछ लोग भी तो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के पक्ष में नहीं हैं, वो कुछ लोग भी कह रहे हैं कि हमें परमिशन देकर परमिशन कैंसिल कर दिया, ये हमारे प्रजातांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमला है।

वो कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर इस देश के अन्दर कहीं लड़ाई लड़ी जा रही है तो उसके समर्थन में हम खड़े होंगे, इतनी बात इनके पल्ले पड़ने वाली नहीं है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यहां जो इतने लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आये हैं, उनके पल्ले पड़ रहा है और वे लोग कैंपस में एक-एक छात्र के पास जायेंगे और बतायेंगे कि ए.बी.वी.पी. इस देश को तोड़ रहा है। बल्कि जेएनयू को तोड़ रहा है, हम जेएनयू को टूटने नहीं देंगे।

जेएनयू जिन्दाबाद था जेएनयू जिन्दाबाद रहेगा, इस देश के अन्दर जितने भी संघर्ष हो रहे हैं उन संघर्षों में बढ-चढकर हिस्सा लेगा।

एक सवाल... अंतिम सवाल पूछकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कौन है गद्दार? कौन है अफ़जल गुरू? कौन है ये लोग, जो आज इस स्थिति में हैं कि अपने शरीर में बम बांधकर हत्या करने को तैयार हैं। अगर ये सवाल यूनिवर्सिटी में नहीं उठेगा तो फ़िर मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी होने का कोई मतलब है। दोस्तों बहुत गम्भीर परिस्थिति है। किसी भी सवाल पर जेएनयू में कोई भी हिंसा का, किसी भी आतंकवादी का, किसी भी आतंकी घटना का, किसी भी सवाल पर जेएनयू में कोई किसी भी हिंसा का, किसी भी आतंकवादी का, किसी भी आतंकी घटना का, किसी देशविरोधी गतिविधि का समर्थन नहीं करता। कड़े शब्दों में एक बार फ़िर से जो कुछ अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये हैं, जेएनयू छात्रसंघ उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है।

इस न्याय व्यवस्था में
कैसे किया जा सकता है विश्वास

20 दिन की नाजायज़ न्यायिक हिरासत से जमानत पर छूटने के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया ने अपने भाषण में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा कि इन्हें इस देश के संविधान, न्याय-प्रणाली एवं व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। समझ नहीं आता कि इस गली सड़ी पूंजीवादी एवं जनविरोधी व्यवस्था पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है और वह भी एक प्रगतिशील मार्क्सवादी विचारधारा का, उच्च शिक्षित नौजवान?

उस न्याय व्यवस्था पर कैसे विश्वास किया जा सकता है जिसमें बिना किसी सबूत काबिले गिरफ़्तारी, एक बेगुनाह को पकड़ कर न केवल जेल में डाल दिया गया बल्कि कोर्ट में पेशी के दौरान मैजिस्ट्रेट के सामने पिटवाया गया हो? इतना ही नहीं पीटने वालों को सज़ा की अपेक्षा सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया गया। यह सब तब हुआ जब कुछ कदम दूर बैठे सर्वोच्च न्यायालय ने आंखों देखा हाल जानने के लिये एकआयोग भेजा हो।

दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तारी के लिये एक न्यूज चैनल के जिस वीडियो क्लिप को आधार बनाया था वह नकली साबित होने के बाद न तो उस चैनल के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी और न ही फ़र्जी वीडियो बनाने वाले गिरोह के विरुद्ध। कानूनन बिना वीडियो की पुष्टि कराये पुलिस को कोई अधिकार नहीं था कन्हैया को गिरफ़्तार करने का, अपने अधिकारों का दुरूपयोग करने के लिये दिल्ली पुलिस के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने वाली इस व्यवस्था पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है? हां पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी की मरी हुई आत्मा जरूर एक बार को जी उठी तो उन्हें कहना पड़ा कि वे कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेंगे, जबकि कायदे से, अपनी भूल सुधारने के लिये उन्हें कन्हैया को तुरन्त डिस्चार्य कराना चाहिये था। परन्तु इतनी हिम्मत कहां, जमानत का विरोध न करने की बात पर ही गृह मंत्री राजनाथ ने ऐसी डांट मारी कि बस्सी थूके हुए को ही चाटते नज़र आये और जमानत का विरोध करने को आ खड़े हुए।

जमानत के नाम पर जो ड्रामा दिल्ली हाई-कोर्ट ने किया, उसे देखते हुए भला कोई कैसे इस न्याय व्यवस्था में विश्वास रख सकता है? दिनांक 13 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की 150 वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने खुद स्वीकारा है कि न्यायपालिका की साख घट रही है, तो फ़िर एसे में कोई कैसे इसके प्रति आस्थावान हो सकता है? वास्तव में ज़मीनी हकीकत तो यह है कि पुलिस सरकार की नौकरी कर रही है और न्यायपालिका पुलिस की।

- सतीश कुमार